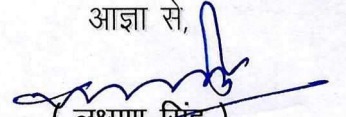


उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1
संख्या-1927/VII-A-1/2021/05(28)/2021
देहरादून: दिनांक: 10 नवम्बर, 2021

~~कार्यालय~~ संख्या-1073/VII-A-1/2021/05(28)/2021, दिनांक 10 नवम्बर, 2021 द्वारा उत्तराखण्ड रिवर ड्रेजिंग नीति, 2021 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. मण्डलायुक्त, कुमायूं/गढ़वाल, नैनीताल/पौड़ी, उत्तराखण्ड।
4. महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुडकी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग-4 में मुद्रित कराकर इसकी 200 प्रतियां औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1 को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1
संख्या: 1873/VII-A-1/2021-05(28)/2021
देहरादून, दिनांक: 10 नवम्बर, 2021

कार्यालय ज्ञाप

राज्यपाल, राज्य के नदी तल क्षेत्रान्तर्गत ऐसे स्थल जो चुगान हेतु स्वीकृत/चिन्हित नहीं हैं तथा जहां वर्षा ऋतु के उपरान्त अत्यधिक मात्रा में मलवा/आर०बी०एम०/सिल्ट जमा होने से नदी के तट कटाव एवं जान-माल एवं आबादी को क्षति होने की सम्भावना रहती है, से मलवा/आर०बी०एम०/सिल्ट को हटाने/निस्तारित किये जाने हेतु उत्तराखण्ड रिवर ट्रेनिंग नीति, 2020 एवं इस विषय पर विद्यमान समस्त नीतियों, शासनादेश व आदेशों को अधिक्रमित करते हुए नदी/जलाशय/नहरों में अत्यधिक मात्रा में निक्षेपित/जमा मलवा/आर०बी०एम०/सिल्ट, जिससे भू-कटाव एवं जान-माल का खतरा होने की संभावना है, से मलवा/आर०बी०एम०/सिल्ट हटाने/निस्तारित किये जाने हेतु उत्तराखण्ड रिवर ड्रेजिंग नीति, 2021 बनाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

उत्तराखण्ड रिवर ड्रेजिंग नीति, 2021

- | | |
|---------------------------|---|
| संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ | 1. (1) इस नीति का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड रिवर ड्रेजिंग नीति, 2021 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। |
| परिभाषाएं | 2. (1) इस नीति में जब तक इस सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-
(क) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड का राज्यपाल अभिप्रेत है;
(ख) "सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य सरकार अभिप्रेत है;
(ग) "आयुक्त" से किसी मण्डल के राजस्व प्रशासन का मुख्य भारसाधक अधिकारी अभिप्रेत है;
(घ) "कलेक्टर" से किसी जिले के राजस्व प्रशासन का मुख्य भारसाधक अधिकारी/अध्यक्ष जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण अभिप्रेत है;
(ङ) "महानिदेशक" से महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है;
(च) "महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी" से जिला स्तर पर तैनात सहायक भूवैज्ञानिक/खान अधिकारी, उप निदेशक/भूवैज्ञानिक, उप निदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी अभिप्रेत है;
(छ) "स्थानीय अधिकारी" से नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम और जिला बोर्ड का निकाय या अन्य प्राधिकारी जो क्रमशः नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम और जिला पंचायत के नियंत्रण या प्रबन्ध का सरकार द्वारा न्यस्त कार्य करता है, अभिप्रेत है;
(ज) "व्यक्ति" से कोई कम्पनी या संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं अभिप्रेत है;
(झ) "रिवर ड्रेजिंग" से नदी के जल प्रवाह को यथा सम्भव प्राकृतिक रूप में नदी/जलाशय/नहर के मध्य में केन्द्रित करने सम्बन्धी कार्य अभिप्रेत है;
(ट) "आर०बी०एम०/सिल्ट निस्तारण" से नदी के जल प्रवाह को नदी के मध्य |

में केन्द्रित करने हेतु नदी/जलाशय/नहर में निक्षेपित मलवा/आर०बी०एम०/सिल्ट की सफाई/हटाना अभिप्रेत है;

- (ठ) "राष्ट्रीय महत्व की केन्द्र/राज्य सरकार की परियोजनाओं" से राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य मार्ग निर्माण, जल विद्युत परियोजना, रेलवे परियोजना आदि अभिप्रेत है।
- (ड) "केन्द्र/राज्य सरकार की कार्यदायी संस्थाओं" से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बी.आर.ओ., रेल विकास निगम, टी.एच.डी.सी., एन.एच.पी.सी. एन. टी.पी.सी., सी.पी.डब्ल्यू.डी., पी.डब्ल्यू.डी. यू.जे.वी.एन.एल. आदि अभिप्रेत है।
- (2) "शब्द और पद" जो इस नीति में परिभाषित नहीं हैं परन्तु साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 में परिभाषित हैं, के वही अर्थ होंगे जो उनके लिए उक्त अधिनियम में दिये गये हैं;

रिवर ड्रेजिंग क्षेत्रों
का चिन्हीकरण,
सत्यापन एवं
मात्रा का
आंकलन

3. (1) ऐसे क्षेत्र जहां नदी/गदरों/जलाशय/नहर के द्वारा मलवा/आर०बी०एम०/सिल्ट अत्यधिक मात्रा में निक्षेपित/जमा किया गया है तथा जिसके जमा होने से भू-कटाव एवं जान-माल का खतरा होने की सम्भावना है, का चिन्हीकरण, स्थल का सत्यापन व जमा सिल्ट/आर०बी०एम० की मात्रा का आंकलन किये जाने हेतु जिलाधिकारी द्वारा सम्बन्धित क्षेत्र के उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में निम्नानुसार समिति गठित की जायेगी:-

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| (क) उपजिलाधिकारी | — अध्यक्ष |
| (ख) प्रभागीय वनाधिकारी के प्रतिनिधि | — सदस्य |
| (ग) सिंचाई विभाग के सहायक अभियन्ता | — सदस्य |
| (घ) भू-वैज्ञानिक/खान अधिकारी | — सदस्य |
| (ङ) अन्य विभाग, जो आवश्यक समझा जाय | — सदस्य |

- (2) चिन्हित क्षेत्रों में निक्षेपित/जमा मलवा/आर०बी०एम०/सिल्ट की मात्रा का आंकलन तथा उक्त मात्रा की निकासी/निस्तारण हेतु समयवधि का निर्धारण गठित समिति के द्वारा अपनी आख्या में किया जायेगा।

चिन्हित स्थलों
में जमा मलवा/
आर०बी०एम०
/सिल्ट हटाने
जाने की प्रक्रिया

4. समिति द्वारा चिन्हित क्षेत्रों में निक्षेपित/जमा मलवा/आर०बी०एम०/सिल्ट को हटाने/निस्तारित किये जाने हेतु जिलाधिकारी के द्वारा जनपद स्तर के इच्छुक व्यक्तियों/संस्थाओं से आवेदन प्राप्त करने हेतु खुली नीलामी (Open Auction) की विज्ञप्ति जारी की जायेगी। मलवे को हटाने/निस्तारण के लिये खुली नीलामी (Open Auction) में प्रतिभाग करने हेतु आवेदक के पास निम्न अभिलेख होने अनिवार्य होंगे:-

1. स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
 2. खान अधिकारी द्वारा निर्गत अद्यतन अदेयता प्रमाण पत्र।
 3. जी०एस०टी० नं०।
 4. ब्लैक लिस्ट न होने सम्बन्धी शपथ पत्र।
 5. मूल्यांकित धनराशि के 25 प्रतिशत राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट।
- परन्तु उक्त प्राविधान राष्ट्रीय महत्व की केन्द्र/राज्य सरकार की परियोजनाओं पर लागू नहीं होगा।

ड्रेजिंग कार्य की
समय सीमा

5. (क) आपदा प्रभावित/सम्भावित क्षेत्रों का चिन्हांकन का कार्य प्रत्येक वर्ष संबंधित जिले के जिलाधिकारी द्वारा 15 नवम्बर तक पूर्ण करा लिया जायेगा।

- (ख) चिन्हित क्षेत्रों से मलवा/आर०बी०एम०/सिल्ट को हटाने/निस्तारित किये जाने के लिये) की कार्यवाही माह दिसम्बर तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करते खुली नीलामी (Open Auction) हुए कार्य आदेश निर्गत कर दिया जायेगा।
- (ग) मलवा/आर०बी०एम०/सिल्ट को हटाने/निस्तारित किये जाने का कार्य, कार्य आदेश के पश्चात अनिवार्यतः 30 जून तक पूर्ण करा लिया जायेगा।
- (घ) कार्य आदेश के उपरान्त ड्रेजिंग कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं प्रत्येक 30 दिन के अन्तराल पर ड्रोन सर्वे का कार्य अनुज्ञाधारक के व्यय पर जिला खान अधिकारी द्वारा कराया जायेगा, जिसकी सूचना मय ड्रोन फोटोग्राफ संबंधित जिलाधिकारी एवं महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म को उपलब्ध करायी जायेगी।

रिवर ड्रेजिंग
अनुज्ञा की
स्वीकृति एवं
अनुज्ञा अवधि

6. आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति की संस्तुति के उपरान्त मलवा/आर०बी०एम०/सिल्ट निस्तारित किये जाने हेतु अल्प अवधि की अनुज्ञा संबंधित जिलाधिकारी के द्वारा अधिकतम 06 माह की अवधि हेतु स्वीकृत की जायेगी।

मलवा/
आर०बी०एम०/
सिल्ट निस्तारित
किये जाने हेतु
अनुमत गहराई

7. मलवा/आर०बी०एम०/सिल्ट की निकासी/निस्तारण सतह से अधिकतम 03 मीटर की गहराई अथवा ग्राउण्ड वाटर लेवल जो भी न्यून हो, तक की जायेगी।

मलवा/
आर०बी०एम०/
सिल्ट निस्तारित
किये जाने की
विधि एवं पद्धति

8. मलवा/आर०बी०एम०/सिल्ट का निस्तारण सफाई के कार्य हेतु चिन्हित क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति, पत्थरों/बोल्डर्स के आकार की प्रकृति एवं नदी/नहर के चैनलाईजेशन को वास्तविक रूप देने तथा आपदा प्रबन्धन के दृष्टिगत त्वरित गति से कार्य के निस्तारण के उद्देश्य से नदी/नहर के दोनों किनारों से एक चौथाई भाग छोड़ते हुए गठित समिति की संस्तुति पर नदी पुल से अपस्ट्रीम एवं डाउन स्ट्रीम में 100-100 मीटर छोड़ते हुए, आवश्यकतानुसार मशीनों यथा जे०सी०बी०, पोकलैण्ड आदि का उपयोग अनुमन्य होगा।

मलवा/
आर०बी०एम०
/सिल्ट
निस्तारण के
सापेक्ष देय
धनराशि

9. मलवा/आर०बी०एम०/सिल्ट का निस्तारण उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001(समय-समय पर यथासंशोधित) व सुसंगत विधिक प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा तथा हटाये गये मलवा/आर०बी०एम०/सिल्ट पर रॉयल्टी के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित शुल्क/टैक्स लिया जायेगा। मलवा/आर०बी०एम०/सिल्ट निस्तारण हेतु रायल्टी के अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क, जिला खनिज फाउण्डेशन में अंशदान तथा क्षतिपूर्ति हेतु निर्धारित शुल्क अनिवार्य रूप से देय होगा।

विविध

10. (1) ऐसे चिन्हित क्षेत्र, जो ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रक्रिया के अन्तर्गत आशय पत्र धारित क्षेत्रों को छोड़कर, जहां प्रति वर्ष मलवा/आर०बी०एम०/सिल्ट निक्षेपित/जमा होने से आबादी व कृषि भूमि प्रभावित हो रही हो, को चिन्हित कर मलवा/आर०बी०एम०/सिल्ट की सफाई उक्त प्रक्रिया के अन्तर्गत की जायेगी।

- (2) राष्ट्रीय महत्व की केन्द्र/राज्य सरकार की परियोजनाओं के निर्माण कार्य सरकारी कार्यदायी संस्थाओं के द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण कराये जाने के उद्देश्य से उक्त परियोजनाओं के निकटस्थ नदी तल क्षेत्रों में रिवर ड्रेजिंग हेतु समिति द्वारा चिन्हित क्षेत्रों में ड्रेजिंग कार्य हेतु केन्द्र/राज्य सरकार की सरकारी कार्यदायी संस्थाओं अथवा उनके द्वारा अनुबन्धित/अधिकृत ठेकेदारों के द्वारा अनुरोध करने पर महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर शासन द्वारा प्रदत्त अनुमति के क्रम में सम्बन्धित जिलाधिकारी के द्वारा आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत अधिकतम 06 माह की अवधि हेतु अनुज्ञा स्वीकृत की जायेगी।

एक ही क्षेत्र हेतु एक से अधिक परियोजनाओं की सरकारी कार्यदायी संस्थाओं अथवा उनके द्वारा अनुबन्धित/अधिकृत ठेकेदारों से अनुरोध प्राप्त होने पर निकटस्थ परियोजना की सरकारी कार्यदायी संस्थाओं अथवा उनके द्वारा अनुबन्धित/अधिकृत ठेकेदारों को उक्त क्षेत्र में रिवर ड्रेजिंग कार्य की अनुमति प्रदान किये जाने में प्राथमिकता दी जायेगी।

स्वीकृत क्षेत्र में समिति द्वारा आंकलित उपखनिज मलवा/आर०बी०एम०/सिल्ट की मात्रा पर मैदानी क्षेत्र हेतु निर्धारित रायल्टी दर की दोगुना धनराशि व अन्य देयकों का भुगतान निर्धारित लेखा शीर्षक में सरकारी कार्यदायी संस्थाओं अथवा उनके द्वारा अनुबन्धित/अधिकृत ठेकेदारों द्वारा जमा किया जायेगा तथा उक्त उपखनिजों का परियोजना के लिए उपयोग के इतर व्यवसायिक उपयोग प्रतिबन्धित रहेगा।

- (3) अनुज्ञाधारक के द्वारा निकासी किये गये मलवा/आर०बी०एम०/सिल्ट आदि के भण्डारण हेतु विद्यमान उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत भण्डारण की अनुज्ञा प्राप्त की जा सकेगी।

शिथिलीकरण/
स्पष्टीकरण

11.

उत्तराखण्ड रिवर ड्रेजिंग नीति, 2021 के सुसंगत प्राविधानों के सन्दर्भ में किसी भी प्रकार के शिथिलीकरण एवं स्पष्टीकरण का अधिकार शासन में निहित होगा।

आज्ञा से,

(आर. मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।